पत्र संख्या–6/योजना–01–22/2015गृ0आ0........................./

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2017

विषयः– **बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाते से वित्त विभाग, बिहार सरकार को वापस की गयी कुल राशि ₹ 20000.00 लाख (दो सौ करोड़ रूपये) में से राजगीर पुलिस अकादमी की राशि ₹ 3000.00 लाख (तीस करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक–2769, दिनांक–02.07.2016 के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के आदेश संख्या–3305, दिनांक–31.03.2015 के आलोक में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा निम्नांकित राशि पी0एल0 खाता से वित्त विभाग बिहार सरकार को वापस की गयी थी :–

1.	राज्य योजना वर्ष 2012–13	₹ 100.00 करोड़
2.	राज्य योजना वर्ष 2014–15	₹ 50.00 करोड़
3.	राजगीर पुलिस अकादमी	₹ 30.00 करोड़
4.	कारा विभाग	₹ 20.00 करोड़
		₹ 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये)

2. वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–8025, दिनांक–26.11.2015 द्वारा राज्य योजना वर्ष 2012–13 की राशि ₹ 100.00 करोड़ एवं राज्य योजना वर्ष 2014–15 की राशि ₹ 5000.00 लाख यानि कुल ₹ 15000.00 लाख (एक सौ पचास करोड़ रू0) मात्र वित्तीय वर्ष 2015–16 में विमुक्त की जा चुकी है। गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजगीर पुलिस अकादमी (13वें वित्त आयोग) की राशि ₹ 3000.00 लाख (तीस करोड़ रू0) का संगत बजट शीर्ष में उपबंध नहीं होने के कारण राशि विमुक्त नहीं किया जा सका। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा अपने पी0एल0 खाते से बिहार सरकार को वापस की गयी राजगीर पुलिस अकादमी (13वें वित्त आयोग) की राशि ₹ 3000.00 लाख (तीस करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 3000.00 लाख (तीस करोड़ रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट मुख्यशीर्ष–"4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–210–अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0101–पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण केन्द्र, आवास का निर्माण–वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में" विपत्र कोड–P4055002100101 एवं विषय शीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य, राज्य योजना स्कीम कोड–HOM 5421 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

6. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/योजना–01–22/2015गृ0आ0.......377........../ पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष– सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याणा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/17